

वित्तीय वर्ष _____ (आकलन वर्ष _____)

(कर्मचारी द्वारा भरा जाना)

में धारा 80-सी के तहत छूट का दावा करना चाहता हूं क्योंकि मैंने नियमों के तहत स्वीकार्य राशि का निवेश किया है:	
भविष्य निधि (पीएफ)	
जी.आई. एस.	
भारतीय जीवन बीमा निगम	
सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)	
पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड)	
शिक्षण शुल्क	
कर बचत सावधि जमा	
गृह ऋण मूलधन	
कोई अन्य बचत	
कुल (अ)	
मैं नियम के तहत अनुमत निवेश के लिए छूट का भी दावा करना चाहता हूं।	
1. चिकित्सा बीमा (लिमिटेड से रु.25000/- तक)	
2. विकलांग आश्रित/शारीरिक रूप से विकलांग	
3. गृह ऋण ब्याज	
4. शिक्षा ऋण (80ई)	
5. 80-सी के अलावा कोई अन्य बचत	
कुल (ब)	
अन्य आय (वित्तीय वर्ष के दौरान दिल्ली के कॉलेज/विश्वविद्यालय से कर्मचारी द्वारा परीक्षा/उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन/विज्ञान व्यावहारिक परीक्षा आदि के पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त कोई अन्य आय)	
कुल (स)	

हस्ताक्षर _____

नाम _____

पद _____

विभाग _____

जन्म तिथि _____

पैन संख्या _____

चलभाष _____

पता _____